आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-183/2023

श्री नारायण चौधरी

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

05.04.2024

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 17081/2023 में दिनांक 21.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर दायर किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

"....the present writ petition is disposed off with a direction the Respondent No. 3 to dispose off the revision bearing No. 183 of 2023 pending before him as expeditiously as possible preferably within a period of four weeks from the date of the receipt of the copy of this order.

It is needless to mention that before passing any order the petitioner shall be put on notice and given an opportunity of hearing. Any order passed shall be communicated to the party."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि वादी श्री नारायण चौधरी, पिता-हरिचरण चौधरी, सा0-मासूमगंज, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण, अनुज्ञप्ति सं0-81/2016 द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकान के संचालन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने एवं मनमानी किए जाने के आरोपों यथा (i) विक्रेता द्वारा जनवरी-2021 एवं फरवरी-2021 में मात्र एक ही माह का अनाज का वितरण किया जाना, (ii) विक्रेता के पुत्रों द्वारा उपभोक्ताओं से मारपीट एवं गाली गलौज किया जाना, (iii) विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण किया जाना और निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिए जाने की संयुक्त जाँच अपर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा एवं पणन पदाधिकारी, छपरा शहरी क्षेत्र द्वारा की गयी। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा वादी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को इस आधार पर असंतोषजनक पाया गया कि, विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं पर केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाया गया है। पूछे गये स्पष्टीकरण के विषय में विक्रेता द्वारा ना तो कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही सही प्रतिउत्तर ही दिया गया है। वादी के स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाए जाने के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक-389, दिनांक 10.06.2021 द्वारा उनकी पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के समक्ष आपूर्ति अपीलवाद सं0-23/2021 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के पश्चात दिनांक 29.05.2023 को

Scanned with CamScanner

पारित आदेश में अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश को इस आधार पर यथावत रखा गया कि विक्रेता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर छपरा द्वारा सम्यक विचार न किया गया हो। अपीलीय प्राधिकार द्वारा यह माना गया कि विक्रेता द्वारा अपने बचाव में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 17081/23 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 21.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की गयी है।

वादी के के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अपने उपर लगाए गए आरोप से इंकार किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के जवाब में उनके द्वारा सभी बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा राशन वितरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है और न ही उनके पुत्रों द्वारा उपभोक्ताओं से कोई दुर्व्यवहार ही किया गया है। वादी द्वारा बताया गया कि उनके विरूद्ध मात्र वार्ड सं0–01 के उपभोक्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है जिसका खंडन उनके द्वारा अपनी स्पष्टीकरण में किया जा चुका है। उनके द्वारा कहा गया कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया गया है कि वादी द्वारा प्रत्येक माह उचित मूल्य पर राशन का वितरण किया जाता है।

4. इस क्रम में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा –सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा स्वयं नहीं की गयी है और न ही उनके पक्ष में उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए लिखित बयान पर ही विचार किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में किसी उपभोक्ता द्वारा माह जनवरी एवं फरवरी का राशन नहीं मिलने का आरोप नहीं लगाया गया है, परंतु उक्त तथ्यों पर भी अनुमंडल पदाधिकारी–सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और न ही राशन वितरण से संबंधित ऑकड़ों की सत्यता हेतु POS मशीन की जाँच ही की गयी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा का जवाब और उसके साथ संलग्न कागजातों पर समुचित विचार किए बिना ही कारण–पृच्छा को बिना किसी समुचित कारण के असंतोषजनक बताया गया है, जो कि त्रुटियुक्त है।

उपर्युक्त के आधार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाय।

Scanned with CamScanner

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया। उनके द्वारा बताया गया कि वादी द्वारा संचालित पी0डी0एस0 दुकान के संचालन में अनियमितता के आरोपों की जांच अपर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा एवं पणन पदाधिकारी, छपरा शहरी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से की गयी है। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में विक्रेता द्वारा (1) जनवरी, 2021 एवं फरवरी, 2021 में मात्र एक माह का अनाज वितरण किया जाने, (2) विक्रेता के पुत्रों द्वारा उपभोक्ताओं से मारपीट एवं गाली-गलौज किए जाने, (3) निर्धारित से कम राशन का वितरण किए जाने तथा (4) निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिए जाने का आरोप उपभोक्ताओं द्वारा लगाए जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त आरोपों के संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी जिसके क्रम में विक्रेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक-389, दिनांक 10.06.2021 में अंकित है कि विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में माह जनवरी एवं फरवरी, 2021 में अनाज वितरण से संबंधित मशीन से निर्गत पुर्जा अथवा कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्धारित से कम मात्रा में राशन वितरण करने एवं अधिक मूल्य लेने के बिन्दु पर विक्रेता द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। जिसके कारण ही वादी के स्पष्टीकरण को असंताषजनक पाते हुए उनके पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। आपूर्ति अपीलवाद सं0-23/2021 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा विस्तृत सुनवाई के क्रम में यह पाया गया है कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर तथ्य-परक विवेचना के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है।

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा निम्न न्यायालीय आदेश एवं अभिलेख पर उपलबध कागजातों अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने तथा निम्न न्यायालीय आदेश एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैः-

(i) वादी से पूछे गए कारण-पृच्छा, वादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वादी के जन वितरण प्रणाली केन्द्र से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

(ii) वादी पर लगाए आरोपों यथा (i) विक्रेता द्वारा जनवरी-2021 एवं फरवरी-2021 में मात्र एक ही माह का अनाज का वितरण किया जाना, (ii) विक्रेता के पुत्रों द्वारा उपभोक्ताओं से मारपीट एवं गाली गलौज किया जाना एवं (iii) विक्रेता द्वारा, निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण किया जाना और निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिए जाने को किन तथ्यों के आधार पर प्रमाणित माना गया है, इस संबंध में किसी साक्ष्य का उल्लेख अपीलीय प्राधिकार एवं अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा अपने आदेश में नहीं किया गया है। इस स्तर पर उपलब्ध कराए गए निम्न न्यायालीय अभिलेख में निरीक्षण

Scanned with CamScanner

प्रतिवेदन एवं वादी से पूछे गए कारण-पृच्छा की प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण वादी पर लगाए गए आरोप एवं उससे संबंधित साक्ष्य की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में आपूर्ति अपीलवाद सं0-23/2021 में दिनांक 29.05.2023 को पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद जिला पदाधिकारी, सारण को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि वादी पर लगाए गए आरोप एवं उक्त के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य पर समुचित विचार करते हुए एक नवीन एवं सकारण आदेश पारित किया जाए।

तदनुसार, प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner